कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 83 / 2017 / 10–11 / 9 / 3274 भोपाल, दिनांक 27/09/21

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला मंडला एवं जिला जबलपुर के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-76/2018-FC दिनांक 18.05.2021

––0––

विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र मे लेख है, कि प्रकरण मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु ग्राम किलवारी, खसरा क्रमांक–249 रकबा 40.00 हे0 एवं खसरा क्रमांक–175 रकबा 31.16 हे0 कुल भूमि रकबा 71.16 हेक्टेयर प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 में संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। जिसका प्रकाशन राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / एफ–25–21–2021–दस–3 दिनांक 15.06.2021 एवं क्रमांक / एफ–25–81–2021–दस–3 दिनांक 15.09.2021 द्वारा किया जा चुका है। दोनो राजपत्र अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार, की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

27/9/21
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 83 / 2017 / 10–11 / 9 / 3275 भोपाल, दिनांक 27/09/21

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम मंडला, मध्यप्रदेश।
4. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

27/9/21
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

-454-

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

क्र. एफ–25–21–2021–दस–3.– भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड N 23° 09' 32.65" से N 23° 10' 08.23" उत्तर अक्षांश तथा E 80° 08' 07.03" से E 80° 08' 48.86" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – जबलपुर
वनमण्डल – जबलपुर

तहसील – कुण्डम
वन परिक्षेत्र – कुण्डम

अ. क्रं.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	किवलारी ब	किवलारी (प.ह.नं. 18–मड़ई)	बड़े झाड़ का जंगल	249	40.00	**उत्तरः**– मुनारा क्र. 01 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पूर्वः**– मुनारा क्र. 09 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा। **दक्षिणः**– मुनारा क्र. 28 से 38 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पश्चिमः**– मुनारा क्र. 38 से 54 एवं मुनारा क्रमांक 54 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
	योग				**40.00**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र कमांक 8–76/2018-FC दिनांक 23/05/2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में कुल प्रभावित रकबा 69.555 हेक्टेयर (जबलपुर– 5.42 हेक्टेयर एवं मण्डला– 64.135 हेक्टेयर) वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 40.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म.प्र. शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के

किवांई
छीताखुदरी 69.535 ha
जबलपुर

-455-

राजस्व प्रकरण क्रमांक/01/अ–19(3)/2017–2018 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा. अ.कले./2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018 से नामांतरित किये जाने के कारण।

अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण–पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. व्यक्तिगत अधिकार :– अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :– अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

क्र. एफ–25–21–2021–दस–3.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–21–2021–दस–3, दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 15th June 2021

No.-F-25-21/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Block lies between N 23° 09' 32.65" to N 23° 10' 08.23" North Latitude and E 80° 08' 07.03" to E 80° 08' 48.86" East Longitude.

SCHEDULE

District -- Jabalpur **Tehsil -- Kundam**

Forest Division -- Jabalpur **Forest Range -- Kundam**

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kivlari B	Kivlari (P.C. No. 18 Madai)	Bade Jhad ka jungle	249	40.00	North:- Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to pillar Number 09. East:- Artificial Forest boundary from Pillar No. 09 to pillar Number 28. South:- Artificial Forest boundary from Pillar No. 28 to pillar Number 38. West:- Artificial Forest boundary from Pillar No. 38 to pillar Number 54 & pillar Number 54 to pillar Number 01.
Total					40.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-76/2018-FC date 23/05/2019 and in lieu of 69.555 hectare (Jabalpur- 5.420 hec, Mandala- 64. 135 hec) of total affected forest ladn under the sanctioned project of Chhitakhudari Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division Jabalpur, the above, mentioned Non forest land of 40.00 hactare in schedule muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Revised Order no. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018 Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar kundam are as under.

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex. Officio. Secy.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						South—Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri 'B' from Pillar Number 15 to Pillar Number 32 and Pillar Number 32 to Protected forest block 180-Bhajiya pillar Number 30/1. **West**—Protected forest boundary of Protected forest block 180-Bhajiya from pillar Number 30/1 to Reserve forest block 39-Kundwara pillar Number 16.
				Total . .	23.87	

(A) **Reason for Publication of Notification : —**

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-05/2019-FC, dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above, mentioned revenue froest land of 23.87 hectare muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:—

1. **Individual's Rights** —No individual's Rights are on above Land mentioned in schedule.
2. **Communities Rights**—No Communitis Rights are on above Land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-81-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 23⁰10'15.85" से N 23⁰10'41.28" उत्तर अक्षांश तथा E 80⁰08'07.41" से E 80⁰08'38.32" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—कुण्डम, वनमण्डल—जबलपुर, वन परिक्षेत्र—कुण्डम

अ. क्र.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किवलारी अ	किवलरी (प.ह.नं. (18-मड़ई)	बड़े झाड़ का जंगल	175	31.16	**उत्तर** —मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—मुनारा क्रमांक 9 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						दक्षिण—मुनारा क्रमांक 18 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—मुनारा क्रमांक 24 से 28 एवं मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	31.16	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार:** —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-76/2018-FC, दिनांक 23 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में कुल प्रभावित रकबा 69.555 हेक्टेयर (जबलपुर-5.42 हे. एवं मंडला-64.135 हे.) वन भूमि के एवज में प्राप्त अनुसूची में वर्णित गैर वन भूमि 31.16 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—अनुसूची में वर्णित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—अनुसूची में वर्णित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-81-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-81-2021-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 15th September 2021

No. F-25-81-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 23⁰10'15.85" to N 23⁰10'41.28" North Latitude and E 80⁰08'7.41" to E 80⁰08'38.32" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur, Tehsil—Kundam, Forest Division—Jabalpur, Forest Range—Kundam

S. No.	Name of Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kivlari A	Kivlari (P.C. No. 18 Madai)	Bade Jhad ka jungle	175	31.16	**North**—Artificial forest boundary forest pillar Number 01 to pillar Number 09.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						East—Artificial forest boundary from pillar Number 09 to Pillar Number 18. **South**—Artificial forest boundary from pillar Number 18 to pillar Number 24. **West**—Artificial forest boundary from pillar Number 24 to pillar Number 28 & pillar Number 28 to pillar Number 01.
				Total . .	31.16	

(A) **Reason for Publication of Notification : —**

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-76/2018-FC, dated 23rd May 2019 and in lieu of 69.555 hectare (Jabalpur-5.420 hec. Mandala 64.135 hec.) of total affected forest land under the sanctioned project of Chhitakhudari Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above, mentioned Revenue forest land of 31.16 hectare muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nill.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:—

1. **Individual's Rights** —No individual's Rights are on above Land mentioned in schedule.
2. **Communities Rights**—No Communitis Rights are on above Land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2021

क्र. एफ-25-82-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि :—

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो,

(1) N-21^{0}56’45.134” से N-21^{0}56’13.844” उत्तर अक्षांश तथा E-74^{0}59’41.033” से E-74^{0}0’20.787” पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है.

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—